भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3866

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025

ईडब्ल्यूएस समूहों के लिए आरक्षण

3866. श्री टी.आर. बालू:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समूह के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में शामिल करने की प्रबल मांग की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) समाज के पिछड़े वर्गों की इस उचित और न्यायोचित मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कई भर्तियों में इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चयन का निर्धारित मानक अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/ओबीसी) से कम है, यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) जोड़ा गया ताकि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसमें भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% तक आरक्षण शामिल है। सरकार संवैधानिक प्रावधानों और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग): इस विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस नियुक्तियों से संबंधित डेटा नहीं रखा जाता है।

*****